



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022024-251983
CG-DL-E-10022024-251983

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2024/माघ 20, 1945

No. 93]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2024/MAGHA 20, 1945

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2024

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) (संशोधन) विनियम, 2023

सं. पीएफआरडीए/16/01/08/0048/2017-आरइजी-सीआरए.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पठित उसकी उपधारा (2) के खण्ड (ड), (ज), (ट), (ठ), (ड), (ण) और (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं, अर्थात् :-

- इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) (संशोधन) विनियम 2023, कहा जाएगा।
- ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम 2015, समय-समय पर यथासंशोधित, (इसके पश्चात् 'मुख्य विनियम' के रूप में संदर्भित), में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :-

I. मुख्य विनियमों के विनियम (1) के उप-विनियम (1) में, विनियम के उद्देश्य को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:
 “इन विनियमों का उद्देश्य अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण हेतु पात्रता मानदंड निर्दिष्ट करना और उसकी प्रौद्योगिकी स्थापत्य, अभिशासन, और परिचालन सेवा स्तर के लिए मानक निर्धारित करना है।”

II. मुख्य विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,

i. खण्ड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(ख) “अंकेक्षक” का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के तहत परिभाषित है और इसमें सिस्टम अंकेक्षक भी शामिल है।

स्पष्टीकरण.- सिस्टम अंकेक्षक का अर्थ है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) या सीईआरटी-इन के साथ सूचीबद्ध अंकेक्षक;”

ii. खण्ड (ग) हट जाएगा;

iii. खण्ड (घ) हट जाएगा;

iv. खण्ड (ङ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(ङ) “अनुपालन अधिकारी” से अभिप्राय केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के उस कर्मचारी से है, जिसे उसके बोर्ड द्वारा अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और प्राधिकरण द्वारा जारी विनिर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए नामित किया गया है;”

v. खण्ड (ज) हट जाएगा;

vi. खंड (ज) के पश्चात् एक नया खंड (जक) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा:

“(जक) “मुख्य कार्मिकों” में शामिल हैं,-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के तहत परिभाषित मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) जिसमें प्रबंध निदेशक या कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति शामिल है;

(ii) गैर-कार्यकारी निदेशक;

(iii) साइबर सुरक्षा, परिचालन, जोखिम प्रबंधन, या प्रौद्योगिकी विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में सेवारत व्यक्ति, जिसमें ऐसे विभागाध्यक्ष से उच्च पदानुक्रम में आने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, और जो सीधे प्रबंध निदेशक या कार्यकारी निदेशक को रिपोर्ट करते हैं;

(iv) अनुपालन अधिकारी;

(v) प्रधान अधिकारी;

(vi) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के बोर्ड द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति; और

(vii) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें प्राधिकरण द्वारा ऐसा होने का निर्देश दिया गया हो;”

vii. खण्ड (ड) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(ड) “प्रधान अधिकारी” से अभिप्राय केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के उस कर्मचारी से है, जिसे उसके बोर्ड द्वारा केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के कार्यकलापों हेतु उत्तरदायी होने के लिए नामित किया गया है;”

viii. खण्ड (ढ) के पश्चात् नई परिभाषा खण्ड (ढक) को निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा:

“(ढक) अधिनियम के अंतर्गत शामिल की गई पेंशन स्कीमों के संबंध में ‘हितधारक’ इस प्रकार हैं,-

(i) अभिदाता(ओं);

(ii) केन्द्र और राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश, सरकारी नोडल कार्यालय, केन्द्र और राज्य सरकारों के स्वायत्त निकाय और कोई अन्य संगठन जिसने अपने कर्मचारियों को अधिनियम के अंतर्गत शामिल की गई पेंशन स्कीम के तहत शामिल किया हो;

(iii) मध्यस्थ; और

(iv) वार्षिकी सेवा प्रदाता और पेंशन स्कीमों से जुड़े कोई अन्य व्यक्ति;"

III. मुख्य विनियमों के विनियम 2 का उप-विनियम (2) हट जाएगा;

IV. मुख्य विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"3. पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन और आवेदन शुल्क.- (1) पात्र आवेदक, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।"

V. मुख्य विनियमों के विनियम 3 का उप-विनियम (4) हट जाएगा;

VI. मुख्य विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (5) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(5) आवेदक को प्राधिकरण को अपने आवेदन के साथ दस लाख रुपये का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क और उस पर लागू कर और लेवी का भुगतान करना होगा।"

VII. मुख्य विनियमों के विनियम 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"4. पात्रता मानदंड.- केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में कार्य करने के इच्छुक आवेदक को आवेदन करने के दिन निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

(1) आवेदक,-

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी पूर्ववर्ती कंपनी कानून के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निगमित निकाय हो और वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो;

(ख) भारत में वित्तीय आस्तियों और संबंधित सेवाओं के स्वामित्व के अभिलेखपालन का कम से कम पांच वर्षों का अनुभव रखता हो; और

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रति वर्ष पांच लाख से अधिक विशिष्ट ग्राहक खातों को प्रबंधित करने का अनुभव रखता हो।

(2) आवेदक के पास,-

(क) पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर कम से कम एक सौ करोड़ रुपये की निवल संपत्ति हो।

स्पष्टीकरण.- निवल संपत्ति का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(57) के तहत परिभाषित किया गया है; और

(ख) पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से कम से कम तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कर के पश्चात् लाभ अर्जित किया हो और ऐसे दो वित्तीय वर्षों के दौरान में नकद हानि उपगत नहीं हुई हो।

स्पष्टीकरण.- नकद हानि का अर्थ

(i) लेखांकन मानकों (एएस) के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करने वाली कंपनी के मामले में, लाभ और हानि के विवरण द्वारा दिखाए गए करों के बाद शुद्ध लाभ/हानि का आंकड़ा गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है जैसे कि मूल्यहास, परिशोधन, और हानि या इसके उत्क्रमण।

(ii) भारतीय लेखांकन मानकों (एएस) के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करने वाली कंपनी के मामले में, लाभ और हानि के विवरण द्वारा दिखाए गए लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय को छोड़कर) के आंकड़े को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है जैसे कि मूल्यहास, परिशोधन, और हानि या इसके उत्क्रमण।

(3) आवेदक के पास होना चाहिए,-

(क) सूचना प्रौद्योगिकी क्षमताएं;

(ख) परिचालन और प्रौद्योगिकी प्रबंधन के क्षेत्र में कम से कम पचास कर्मचारियों के साथ न्यूनतम एक सौ पेशेवर कर्मचारियों की अनुभवी श्रमशक्ति; और

(ग) प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशासन और अभिलेखपालन प्रणालियों के विकास और प्रबंधन का अनुभव।

(4) आवेदक और उसके मुख्य कार्मिक अनुसूची IV में निर्दिष्ट 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' होंगे।

(5) आवेदक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मध्यवर्ती में बीस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर पूंजी को नियंत्रित या धारित नहीं करेगा और इसके विपर्ययण भी लागू होगा।

स्पष्टीकरण.- नियंत्रण का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(27) के तहत परिभाषित है।

(6) प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई चयन प्रक्रिया में निर्धारित कोई अन्य मानदंड।”

VIII. मुख्य विनियमों के विनियम 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“5. सूचना का प्रकटन.- (1) पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करते समय, आवेदक सभी प्रासंगिक सूचनाओं को प्रकट करेगा, जिनमें अतीत में उसके और उसके मुख्य कार्मिक के विरुद्ध शुरू की गई कोई कार्रवाई या कानूनी कार्यवाही, लंबित कार्यवाही, प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक निकाय या सरकार के किसी भी कानून, नियमों, विनियमों, निर्देशों का भौतिक उल्लंघन करने या उनका अनुपालन न करने के लिए लंबित कार्यवाही भी शामिल है।

(2) आवेदन के लंबित रहने के दौरान आवेदक, उप-विनियम (1) के तहत दी गई सूचना में किसी भी बदलाव के बारे में, प्राधिकरण को ऐसे बदलाव के सात दिनों के भीतर सूचित करेगा।”

IX. मुख्य विनियमों के विनियम 6 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“6. सूचना और स्पष्टीकरण का दिया जाना.- (1) प्राधिकरण द्वारा उक्त आवेदन पर विचार करने के लिए आवेदक से अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण मांगी जा सकती है।”

X. मुख्य विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“7. सूचना का सत्यापन.- (1) आवेदन को संसाधित करते समय, प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा,-

(क) दस्तावेजों को सत्यापित करना, अवसंरचना और तकनीकी क्षमताओं सहित संसाधनों का निरीक्षण करना, जो आवेदक द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है; और

(ख) किसी भी ऐसे अभिकरण से रिपोर्ट मांगना जिसका आवेदन पर असर हो सकता है।”

XI. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (1) के खंड (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(क) क्या आवेदक इन विनियमों में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों और चयन प्रक्रिया के तहत निर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करता है;”

XII. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(3) किसी आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, प्राधिकरण आवेदक को प्राधिकरण की इस तरह की नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर आवेदन में दोषों को सुधारने के लिए नोटिस देगा।

परन्तु जहां प्राधिकरण प्रथम दृष्टया यह राय रखता है कि पंजीकरण नहीं दिया जाना चाहिए, वहां ऐसी राय बनाने के कारणों को संप्रेषित करेगा और आवेदक को प्राधिकरण से संचार की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर यह बताने का अवसर भी दिया जाएगा कि उसका आवेदन क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए, ताकि प्राधिकरण अंतिम राय बनाने में सक्षम हो सके।

परन्तु जहां किसी आवेदन को गलत, असत्य या भ्रामक प्रकृति या वस्तुगत तथ्यों को प्रकट करने के चूकने के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है, वहां ऐसे अस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए, पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदक से प्राप्त किसी नए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।”

XIII. मुख्य विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (1) के खण्ड (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(क) जहां आवेदक अपनी प्रास्थिति या गठन को बदलने का प्रस्ताव रखता है, उसे प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

स्पष्टीकरण.- प्रास्थिति या गठन के परिवर्तन में निम्नलिखित शामिल होंगे,-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 13) के प्रावधानों के तहत समामेलन, अविलयन, समेकन या किसी अन्य प्रकार के निगमित पुनर्गठन का या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तदनु रूप प्रावधान या कोई करार या व्यवस्था जिस पर ऐसे निगमित पुनर्गठन का प्रभाव पड़ेगा;

(ii) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के नियंत्रण में कोई परिवर्तन।

स्पष्टीकरण.- नियंत्रण का अर्थ है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(27) के तहत परिभाषित; और

(iii) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण की विधिक स्थिति में कोई परिवर्तन;"

XIV. मुख्य विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(ख) यह प्रत्येक समय पर इन विनियमों में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों और चयन प्रक्रिया के तहत निर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

परन्तु प्राधिकरण द्वारा अभिदाताओं के हित में या अधिनियम के अंतर्गत शामिल की गई पेंशन स्कीमों के व्यवस्थित विकास के लिए या केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के कामकाज के विनियमन के लिए ऐसी कोई अन्य शर्तें लगाई जा सकती हैं, जैसा कि वह उचित समझे और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को इन शर्तों का अनुपालन करना होगा।”

XV. मुख्य विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (1) के खण्ड (च) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(च) यह, प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित ऐसे अन्य प्रकटनों के अलावा, विनियमों के तहत विनिर्दिष्ट जानकारी का निरंतर आधार पर सत्य और सही प्रकटन करेगा। इसके अलावा, यह विनियम 5 के उप-विनियम (1) के तहत प्राधिकरण को दी गई सूचना में किसी भी वस्तुगत परिवर्तन को तत्काल परन्तु इस तरह के परिवर्तन की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा;”

XVI. मुख्य विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (1) के खण्ड (छ) के बाद नये खण्ड (ज) को निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा:

“(ज) यह पात्रता शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। ऐसा प्रमाणपत्र उसके बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसकी टिप्पणियां, यदि कोई हों, उस पर स्पष्टीकरण के साथ, प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से साठ दिनों के भीतर या उसके पंजीकरण के कार्यकाल की समाप्ति के साठ दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा;

XVII. मुख्य विनियमों के विनियम 12 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“12. पंजीकरण शुल्क.- आवेदक प्राधिकरण को पच्चीस लाख रुपये का अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क और उस पर लागू कर और लेवी का भुगतान करेगा।”

XVIII. मुख्य विनियमों के विनियम 13 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“13. वार्षिक शुल्क.- केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, विनियम 22 में निर्दिष्ट सेवा प्रभारों के 0.05 गुना की दर से तिमाही आधार पर वार्षिक शुल्क और उस पर लागू कर और लेवी का प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियत तिथि से पहले भुगतान करेगा।”

XIX. मुख्य विनियमों के विनियम 14 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“14. व्यवसाय का प्रारम्भ.- (1) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, पंजीकरण प्रमाणपत्र की तिथि से छह महीने के भीतर व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा।

परन्तु उसे अपना परिचालन शुरू करने से पहले व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

परन्तु व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जहां अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो, वहाँ पंजीकरण प्रमाणपत्र की तिथि से छह महीने पूरा होने से कम से कम तीस दिन पहले आवेदन करना होगा। प्राधिकरण कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए छह महीने तक का अतिरिक्त समय प्रदान कर सकता है।

(2) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन करते समय,-

(क) अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं के साथ सेवा स्तर के समझौतों के निष्पादन की पुष्टि करेगा;

(ख) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित माध्यम और तरीके से प्रणाली विकास के पूरा होने की पुष्टि करेगा; और

(ग) अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित इस आशय का वचन-पत्र देगा कि वह व्यवसाय प्रारम्भ करने के प्रमाणपत्र की तिथि से बारह महीने के भीतर केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के अंतर्गत प्रस्तावित सेवाओं के लिए सीएमएमआई त्रिस्तरीय प्रमाणन और आईएसओ 27001 प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

(3) ऐसा आवेदन जो अपूर्ण हो और चयन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट या निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

परन्तु व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र देने के लिए किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले, प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

परन्तु प्राधिकरण, इस बात से संतुष्ट होने पर कि उक्त अवधि को बढ़ाना आवश्यक है, ऐसी अवधि को उतने अतिरिक्त समय तक बढ़ा सकता है, जितना प्राधिकरण द्वारा बताई गई आपत्तियों को केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण द्वारा दूर करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक समझा जाए।

(4) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के कुशल और व्यवस्थित कामकाज के लिए प्रासंगिक सभी मामलों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण अनुसूची V के अनुसार व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(5) व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र धारित करने वाला केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, प्रत्येक समय, अनुसूची II में निर्दिष्ट आचार संहिता का अनुपालन करेगा।"

XX. मुख्य विनियमों के विनियम 15 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"15. पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता.- केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि विनियमों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द नहीं किया जाता हो।"

XXI. मुख्य विनियमों के विनियम 18 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"18. केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व.- (1) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और विनियमों, और प्राधिकरण द्वारा जारी प्रचालन सेवा स्तर मानकों या किसी मानक प्रचालन प्रक्रिया या दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और विनिर्देशों के अनुसार, अधिनियम के अंतर्गत शामिल की गई पेंशन स्कीमों के तहत सभी अभिदाताओं के लिए केंद्रीकृत अभिलेखपाल, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्य करेगा।"

XXII. मुख्य विनियमों के विनियम 18 के उप-विनियम (2) के खण्ड (ज) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(ज) प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी अन्य निकाय को अपेक्षित डेटा अथवा सूचना और चूकों और त्रुटियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रदान करके दिशा-निर्देशों के प्रवर्तन में सहायता प्रदान करना;"

XXIII. मुख्य विनियमों के विनियम 18 के उप-विनियम (2) के खण्ड (झ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(झ) उभरती आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करना;"

XXIV. मुख्य विनियमों के विनियम 18 के उप-विनियम (2) का खण्ड (ठ) हट जाएगा:

XXV. मुख्य विनियमों के विनियम 18 के उप-विनियम (2) के खण्ड (ड) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(ड) सभी क्षेत्रों और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण में समान पेंशन स्कीम के तहत व्यक्तिगत पेंशन खातों के दोहरेपन से बचने के लिए उपयुक्त प्रणाली-चालित तंत्र को सुनिश्चित करना;"

XXVI. मुख्य विनियमों के विनियम 18 के विनियम (2) के खंड (ण) के बाद नया खंड (णक) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा:

"(णक) अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और प्राधिकरण द्वारा जारी विनिर्देशों का प्रत्येक समय अनुपालन सुनिश्चित करना;"

XXVII. मुख्य विनियमों के विनियम 18 के विनियम (2) के नए अंतःस्थापित खंड (णक) के बाद नया खंड (णख) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा:

"(णख) हितधारकों को प्रत्येक समय गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना;"

XXVIII. मुख्य विनियमों के विनियम 18 के विनियम (2) के नए अंतःस्थापित खंड (णख) के बाद नया खंड (णग) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा:

“(णग) यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के अंतर्गत शामिल की गई पेंशन स्कीमों के तहत मध्यस्थता और अन्य परिचालन लागत किफायती और उचित हों;”

XXIX. मुख्य विनियमों के विनियम 18 के उप-विनियम (2) के बाद नये उप-विनियम (2क) को अंतःस्थापित किया जाएगा:

“(2क) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए आवश्यक सभी उपाय करेगा और प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी की रोकथाम और प्रशमन नीति को विकसित और कार्यान्वित करेगा, जिसमें शामिल हैं,-

(क) आंतरिक नियंत्रण का पालन करना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसे नियंत्रण पर्याप्त हों तथा प्रभावी रूप से संचालित हों; और

(ख) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण की ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण किसी भी प्रमाणित नुकसान के लिए अभिदाता को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान करना।

स्पष्टीकरण.- इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, आंतरिक नियंत्रण शब्द से आशय केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण द्वारा अपने कार्यों के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियां और प्रक्रियाओं से है जिनमें धोखाधड़ी और त्रुटियों को पता लगाने और उनकी रोकथाम, अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय अनुपालन रिपोर्ट को समय पर तैयार कर प्रस्तुत करना शामिल है।”

XXX. मुख्य विनियमों के विनियम 18 के नये अंतःस्थापित उप-विनियम (2क) के बाद नये उप-विनियम (2ख) को अंतःस्थापित किया जाएगा:

“(2ख) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, प्राधिकरण को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित भी शामिल होंगे,-

(क) निम्नलिखित प्रमुख उत्तरदायित्वों के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणन,-

(i) आंतरिक प्रक्रियाओं और डिजिटल स्थापत्य नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावकारिता;

(ii) अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और प्राधिकरण द्वारा जारी विनिर्देशों के साथ-साथ अन्य लागू कानूनों का अनुपालन करना; और

(iii) आचार संहिता का अनुपालन करना;

(ख) अधिनियम के अंतर्गत शामिल की गई पेंशन स्कीमों की प्रक्रियाओं, परिचालन और खाताबहियों की अंकेक्षण के संबंध में अंकेक्षण रिपोर्ट।”

XXXI. मुख्य विनियमों के विनियम 19 के खंड (ठ) के तुरंत बाद पैराग्राफ को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“स्पष्टीकरण.- रिपोर्ट सृजित करने का काम उपयुक्त अंकेक्षण ट्रेल के साथ स्वचालित एवं प्रणाली-चालित होगा। इस तरह से डिजाइन किए गए एप्लिकेशन से विभागों, प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को स्वचालित रूप से रिपोर्ट देखने की पहुँच प्राप्त होगी।”

XXXII. मुख्य विनियमों के विनियम 20 के खंड (घ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(घ) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रचालन और प्रौद्योगिकी मानकों का अनुपालन करेगा।”

XXXIII. मुख्य विनियमों के विनियम 22 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“22. सेवा प्रभार.- केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, अधिनियम के अंतर्गत शामिल की गई पेंशन स्कीमों के अभिदाताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रभार और लागू कर संगृहीत कर सकता है। सेवा प्रभार प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।”

XXXIV. मुख्य विनियमों के विनियम 23 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“23. **निकास प्रबंधन योजना.**- (1) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र दिए जाने के छह महीने के भीतर प्राधिकरण के समक्ष **निकास प्रबंधन योजना** प्रस्तुत करेगा।

(2) **निकास प्रबंधन योजना** में निम्नलिखित सहित अन्य विवरण शामिल होंगे,-

(क) अंतरण प्रक्रिया का एक विस्तृत कार्यक्रम जिसमें अंतरण प्रक्रिया के दौरान सेवाओं के निरंतर प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए अंतरण के दौरान सेवाओं और प्रबंधन संरचना के समाप्त होने तक उपयोग किए जाने वाले साधनों का विवरण शामिल है;

(ख) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के उप-संविदाकारों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं और किसी भी संबंधित अन्य पक्ष के साथ संपर्क की पद्धतियों जो अंतरण के परिणामस्वरूप परियोजना के परिचालन पर किसी भी हानिकारक प्रभाव से बचाव के लिए आवश्यक हों; और

(ग) अंतरण के बाद युक्तियुक्त अवधि के लिए प्रतिस्थायी अभिकरण को आकस्मिक सहायता के लिए प्रावधान।

(3) **निकास प्रबंधन योजना** का अद्यतन किया जाएगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।”

XXXV. मुख्य विनियमों के विनियम 25 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“25. **अधिनियम के अंतर्गत शामिल की गई पेंशन स्कीमों के खातों को उसके अन्य कार्यकलापों और व्यवसाय से अलग करना.**- केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण अधिनियम के अंतर्गत शामिल की गई पेंशन स्कीमों से संबंधित खातों, आय, व्यय, नकद प्रवाह, अभिलेख, डेटा और विनियमित आस्तियों के रखरखाव संबंधी कार्यकलापों को अपनी अन्य गतिविधियों और व्यवसाय से अलग करेगा।”

XXXVI. मुख्य विनियमों के विनियम 26 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“26. **निरीक्षण और अंकेक्षण.**- (1) प्राधिकरण नियमित अंतराल पर केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण का निरीक्षण करेगा जैसे कि वह उचित समझे।

उपर्युक्त के होते हुए भी, किसी भी यथोचित समय पर, प्राधिकरण इस विनियम के तहत निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सीधे या किसी अंकेक्षक या अपने किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के टेलीफोन अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और दस्तावेजों सहित खाता बहियों, खातों और अभिलेखों का निरीक्षण या अंकेक्षण कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों में शामिल होंगे,-

(क) मूल संरचनात्मक क्षमताओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि इन विनियमों के तहत अपेक्षित तरीके से लेखा पुस्तकों, अभिलेखों, कॉल अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा जा रहा है;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि क्या पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय स्थापित किए गए हैं और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण द्वारा उनका पालन किया जा रहा है;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि क्या अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों या प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और विनिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ङ) अभिदाताओं, नोडल कार्यालयों, मध्यस्थों या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त ऐसी किसी भी शिकायतों की जांच करना जो कि केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण की गतिविधियों से संबंधित है; और

(च) अभिदाताओं के हित में उचित समझे जाने वाले मामलों पर स्वतः संज्ञान लेना।”

(3) प्राधिकरण विनियमित आस्तियों के मूल्यांकन को पूरा करने के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकक नियुक्त करने के लिए किसी केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को नियुक्त या निर्देशित कर सकता है। केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण ऐसे मूल्यांकन के लिए खर्च वहन करेगा।”

XXXVII. मुख्य विनियमों के विनियम 29 के उप-विनियम (2) के बाद नया उप-विनियम (3) अंतः स्थापित किया जाएगा:

“(3) निरीक्षण या अंकेक्षण के दौरान प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या ऐसे व्यक्ति द्वारा संगृहीत किसी भी दस्तावेज या सूचना को प्राधिकरण के समक्ष किसी भी अन्वेषण या जांच या किसी अन्य कार्यवाही में स्वीकृत किया जाएगा।”

XXXVIII. मुख्य विनियमों के विनियम 32 के उप-विनियम (1) के खंड (ज) के बाद एक नया खंड (जक) अंतःस्थापित किया जाएगा:

“(जक) प्राधिकरण द्वारा दिए गए समय के भीतर व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफल रहना;”

XXXIX. मुख्य विनियमों के विनियम 32 के उप-विनियम (1) के खण्ड (झ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(झ) कोई अन्य कारण, जो प्राधिकरण की राय में, प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्द करने का समुचित आधार हो।”

XL. मुख्य विनियमों के विनियम 32 का उप-विनियम (4) हट जाएगा।

XLI. मुख्य विनियमों के विनियम 33 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“33. पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण.- (1) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, प्राधिकरण को अनुरोध करके अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण कर सकता है।

(2) ऐसे अनुरोध पर विचार करने के लिए, प्राधिकरण केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण से निम्नलिखित अपेक्षा कर सकता है,-

(क) अभिदाताओं को सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम, नियम, विनियमों और दिशानिर्देशों, परिपत्रों के तहत आवश्यक अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों के रखरखाव और संरक्षण के लिए अपनी लागत और व्यय पर इनकी व्यवस्था करना;

(ख) चूक और लंबित कार्रवाइयों, यदि कोई हो, को सुधारना;

(ग) अभिदाताओं की शिकायतों का निवारण; और

(घ) अभिदाताओं के हित में कोई अन्य उपाय करना।

(3) अभ्यर्पण के अनुरोध पर विचार करते समय, प्राधिकरण केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण पर ऐसी शर्तें लगा सकता है जो वह अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उचित समझे।

(4) ऐसे केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण से अभ्यर्पण के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में कोई अन्वेषण, जांच या अधिनिर्णयन शुरू किया गया है या प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है।

(5) किसी भी अभ्यर्पण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि प्राधिकरण संतुष्ट न हो जाए कि केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण ने उप-विनियम (2) के तहत आवश्यकताओं और उप-विनियम (3) के तहत अन्य शर्तों, यदि कोई हो, का अनुपालन किया है या उनके अनुपालन के लिए कदम उठाए हैं।

(6) जब भी प्राधिकरण अभ्यर्पण के अनुरोध को स्वीकार करेगा, तत्क्षण केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर देगा और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को सात दिनों के भीतर सूचित करेगा और ऐसी सूचना को अपनी वेबसाइट पर डाल देगा और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को ऐसी सूचना अपनी वेबसाइट पर डालने का और आवश्यक तरीके से सूचना का प्रसार करने का भी निर्देश देगा।”

XLII. मुख्य विनियमों के विनियम 34 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“34. प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्दकरण का प्रभाव.- (1) पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन की तिथि से, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, जैसा कि निर्देशित हो,-

(क) अधिनियम के अंतर्गत शामिल की गई पेंशन स्कीमों के तहत, जैसा भी मामला हो, नया व्यवसाय करना बंद कर देगा;

(ख) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण अपने अभिरक्षा या नियंत्रण में होने वाली आस्तियों, अभिलेखों, दस्तावेजों या सूचना के संबंध में ऐसी कार्रवाई करेगा, जो समय-सीमा के भीतर और उस रीति से जो सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित हो या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित की गई हो;

(ग) अपनी लागत पर ऐसी आस्तियां, अभिलेख, दस्तावेज या सूचना जो उसकी अभिरक्षा में हैं या किसी अन्य केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को उस रूप और रीति से, जो प्राधिकरण द्वारा निर्देशित की जाए, अंतरित करेगा;

(घ) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण अपनी लागत और व्यय पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित होने पर अपने प्रबंधन के तहत सभी आस्तियों के सुचारू अंतरण को सुनिश्चित करने में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और ऐसी सार्वजनिक घोषणा या प्रकटन करेगा जो अभिदाताओं के हित में ऐसी आस्तियों के अंतरण के संबंध में अनुकूल हो। यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों, अभिलेख या सूचना का अंतरण प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाए;

(ङ) ऐसी आस्तियों का अंतरण प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों या विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा; और

(च) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण तब तक प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहेगा जब तक कि ऐसे सभी अंतरण या कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती या जब तक कि पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित रहेगा।

(2) पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने की तिथि से संबंधित केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण,-

(क) उन गतिविधियों को बंद कर देगा और संबंधित मामलों का समापन कर देगा जिनके संबंध में पंजीकरण की अनुमति दी गई है;

(ख) इस प्रकार रद्द किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को प्राधिकरण को वापस कर देगा और प्राधिकरण द्वारा निर्देशित ऐसी अन्य एजेंसियों को कथित तथ्य के बारे में सूचित करेगा और सूचना को अपनी वेबसाइट पर और ऐसे अन्य तरीके से प्रसारित करेगा जैसा निर्देशित किया जाए;

(ग) प्राधिकरण द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर किसी भी अन्य निर्देशों को पूरा करेगा और उसके अनुपालन की रिपोर्ट देगा;

(घ) इसके द्वारा उपगत या ग्रहण की गई देनदारी के संबंध में प्रावधान करेगा;

(ङ) अभिदाताओं के किसी भी अभिलेखों या दस्तावेजों और आस्तियों से संबंधित कार्रवाई सहित ऐसी अन्य कार्रवाई, जो ऐसे केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण की अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, समय सीमा के भीतर और उस तरीके से करेगा, जैसा अपेक्षित हो; और

(च) विनियमित आस्तियों का ऐसी रीति से, जो प्राधिकरण द्वारा निर्देशित की जाए, अंतरण या निपटारा करेगा।”

XLIII. मुख्य विनियमों के विनियम 38 के खंड (घ) को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(घ) नोटिसी के प्रमुख कार्मिक को किसी मध्यवर्ती या किसी अन्य व्यक्ति के साथ नियोजित या सहयुक्त होने के लिए आदेश में दी हुई विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित करना।”

XLIV. मुख्य विनियमों के विनियम 46 के उप-विनियम (6) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(6) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, उसके या उसके प्रमुख कार्मिक के विरुद्ध पूर्व में शुरू की गई किसी भी कार्रवाई या विधिक कार्यवाही के साथ-साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात उसके द्वारा किसी अधिनियम, नियमों, विनियमों और निर्देशों और प्राधिकरण के अथवा किसी अन्य विनियामक निकाय या सरकार के निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्रवाई या विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राधिकरण को सूचित करेगा।”

XLV. मुख्य विनियमों की अनुसूची III के बाद नई अनुसूची IV निम्नानुसार अंतःस्थापित की जाएगी:

"अनुसूची IV

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015

[विनियम 4 देखें]

‘उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति’ के निर्धारण के लिए मानदंड

(1) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति ‘उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति’ है, प्राधिकरण किसी भी यथोचित मानदंड को ध्यान में रख सकता है, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे,-

भाग क

- (क) वित्तीय सत्यनिष्ठा,
- (ख) दोषसिद्धि या नागरिक देनदारियों का न होना,
- (ग) सक्षमता,
- (घ) अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र,
- (ङ) दक्षता और ईमानदारी,
- (च) वित्तीय शोधन क्षमता और निवल संपत्ति

भाग ख

यदि निम्नलिखित में से कोई भी अयोग्यता उत्पन्न हो तो किसी व्यक्ति को 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' नहीं माना जाएगा,-

- (i) ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 154 के तहत प्राधिकरण द्वारा आपराधिक शिकायत या सूचना दायर की गई हो और जो लंबित हो;
- (ii) ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में किसी प्रवर्तन अभिकरण द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया हो और जो लंबित हो;
- (iii) ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध प्रतिभूति कानूनों या वित्तीय बाजारों से संबंधित किसी मामले में प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण या प्रवर्तन अभिकरण द्वारा संयम, निषेध या प्रतिबंध का आदेश पारित किया गया हो और ऐसा आदेश लागू हो;
- (iv) पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा जिसका लाइसेंस या पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो;
- (v) ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा वसूली की कार्यवाही शुरू की गई हो और वे लंबित हों;
- (vi) ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्धि का आदेश पारित किया गया हो जिसमें नैतिक अपराध या आर्थिक अपराध या धोखाधड़ी शामिल हो;
- (vii) ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई समापन कार्यवाही आरंभ की गई है या समापन का आदेश पारित किया गया है;
- (viii) ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई दिवाला कार्यवाही लंबित हो या उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो और उन्मोचन नहीं किया गया हो;
- (ix) ऐसे व्यक्ति जिसको सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा विकृत दिमाग का पाया गया हो और यह निर्णय प्रभावी हो;
- (x) ऐसे व्यक्ति जिसको इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया हो;
- (xi) ऐसे व्यक्ति जिसको भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया हो; या
- (xii) कोई अन्य अयोग्यता जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई हो।

(2) जहां किसी व्यक्ति को प्राधिकरण के आदेश द्वारा 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' घोषित नहीं किया गया है, ऐसा व्यक्ति उक्त आदेश में दी गई अवधि के लिए या प्रभावी तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए, यदि ऐसी कोई अवधि आदेश में प्रदान नहीं की गई है, किसी भी प्रकार के पंजीकरण के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होगा।

(3) प्राधिकरण की राय में, यदि केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण या उसके मुख्य कार्मिकों में से कोई, किसी भी समय खंड (1) के भाग क के तहत मानदंडों को पूरा करने या खंड (1) के भाग ख के तहत किसी निरर्हता या निःशक्तता को उपगत करने से रोक देता है, तो वहां उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र इन विनियमों के उपबंध के अनुसार निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

परन्तु केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण खंड (1) के तहत मानदंडों को पूरा न करने वाले अपने मुख्य कार्मिकों को तीस दिनों के भीतर हटा देगा और की गई कार्रवाई के बारे में प्राधिकरण को सूचित करेगा।”

XLVI. मुख्य विनियमों की अनुसूची IV के बाद नई अनुसूची V निम्नानुसार अंतःस्थापित की जाएगी:

“अनुसूची V

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015

[विनियम 14(4) देखें]

व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाणपत्र

_____, जिसे _____ (दिनांक) को _____ के माध्यम से केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, को एतद्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन स्कीमों के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में अपने कार्यकलापों / व्यवसाय को प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाती है।

स्थान : _____

आदेश से

कृते

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण”

डॉ. दीपक महान्ती, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./741/2023-24]

नोट: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) विनियम, 2015 को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/7 के माध्यम से दिनांक 27 अप्रैल, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, सं. 140 में प्रकाशित किया गया था, और इसके पश्चात्तवर्ती संशोधनों में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018 को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/7 के माध्यम से दिनांक 25 जून, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 238 में, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/7 के माध्यम से दिनांक 29 जुलाई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं 296 में तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण) (संशोधन) विनियम, 2021 को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/7 के माध्यम से दिनांक 14 जून, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, सं 237 में प्रकाशित किया गया था।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2024

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. PFRDA/16/01/08/0048/2017-REG-CRA.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (e), (j), (k), (l), (n), (o) and (p) of sub-section (2) of section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority, hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) (Amendment) Regulations, 2023.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015, as amended from time to time (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), the following amendments are made:—

I. In sub-regulation (1) of regulation 1 of the principal regulations, the objective of regulation shall be substituted as follows:

“The objective of the regulations is to specify eligibility criteria and set standards for technology architecture, governance, and operational service levels of central recordkeeping agency to protect the interest of subscribers.”

II. In sub-regulation (1) of regulation 2 of the principal regulations,

i. Clause (b) shall be substituted as follows:

“(b) “auditor” shall have the same meaning as defined under section 141 of Companies Act, 2013 and includes system auditor.

Explanation.— System auditor means an auditor empaneled with CERT-in or Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Government of India;”

ii. Clause (c) shall be deleted;

iii. Clause (d) shall be deleted;

iv. Clause (e) shall be substituted as follows:

“(e) “compliance officer” means an employee of the central recordkeeping agency designated as such by its board, for monitoring compliance of the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority;”

v. Clause(h) shall be deleted;

vi. After clause (h), new clause (ha) shall be inserted as follows:

“(ha) “key personnel” includes,—

- (i) key managerial personnel (KMP) as defined under section 2(51) of the Companies Act, 2013 including any person appointed as the managing director or executive director;
- (ii) non-executive directors;
- (iii) a person serving as head of department of cybersecurity, operations, risk management, technology including person(s) who stands higher in hierarchy to such head of department(s) and directly reporting to the managing director or executive director;
- (iv) compliance officer;
- (v) principal officer;
- (vi) any person designated as such by board of central recordkeeping agency; and
- (vii) such other officer of central recordkeeping agency as may be instructed by the Authority to be so;”

vii. Clause (m) shall be substituted as follows:

“(m) “principal officer” means any key employee of the central recordkeeping agency designated as such by its board to be responsible for the activities of a central recordkeeping agency;”

viii. New definition clause (na) shall be inserted after clause (n) as follows:

“(na) “stakeholder” in respect of pension schemes covered under the Act shall include,—

- (i) subscriber(s);
- (ii) Central and State Governments, Union Territories, Government Nodal Offices, Autonomous Bodies of Central and State Governments, and any other organisation which has covered its employee(s) under a pension scheme covered under the Act;
- (iii) intermediaries; and
- (iv) annuity service provider(s) and any other person(s) connected with pension schemes;”

III. Sub-regulation (2) of regulation 2 of the principal regulations shall be deleted;**IV. Sub-regulation (1) of regulation 3 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“3. **Application for grant of registration and application fee.**— (1) An eligible applicant may apply for grant of certificate of registration as a central recordkeeping agency in the application form determined by the Authority.”

V. Sub-regulation (4) of regulation 3 of the principal regulations shall be deleted;**VI. Sub-regulation (5) of regulation 3 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(5) Applicant shall pay a non-refundable application fee of rupees ten lakh plus applicable taxes and levies thereon, along with its application to the Authority.”

VII. Regulation 4 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“4. **Eligibility criteria.**— An applicant desirous to act as a central recordkeeping agency shall fulfil the following eligibility criteria as on the day of making an application.

(1) The applicant shall,—

- (a) be a body corporate incorporated under the Companies Act, 2013, or under any previous company law or under any central enactments, and registered under the Goods and Services Tax Act;
- (b) have experience of at least five years of performing recordkeeping of ownership of financial assets and related services in India; and
- (c) have experience in managing over five lakh unique customer accounts per year over the preceding three financial years.

(2) The applicant shall have,—

- (a) net worth of at least rupees one hundred crore, as on the last day of the preceding financial year.

Explanation.— Net worth means as defined under section 2(57) of the Companies Act, 2013; and

- (b) made profit after tax in at least three out of the five preceding financial years and not have incurred cash loss in such two financial years.

Explanation.— Cash loss means

- (i) in case of a company preparing its financial statements in accordance with accounting standards (AS), the figure of net profit/loss after taxes shown by the statement of profit and loss is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature such as depreciation, amortization, and impairment loss or its reversal.
- (ii) in case of a company preparing its financial statements in accordance with Indian accounting standards (Ind AS), the figure of profit or loss (excluding other comprehensive income) shown by the statement of profit and loss is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature such as depreciation, amortization and impairment loss or its reversal.

(3) The applicant shall possess,—

- (a) information technology capabilities;
- (b) experienced manpower of at least one hundred professional staff with at least fifty staff in the area of operation and technology management; and
- (c) experience of developing and managing technology-based administration and recordkeeping system.

(4) The applicant and its key personnel shall be a ‘fit and proper person’ as specified in Schedule IV.

(5) The applicant shall not either control, or hold twenty per cent. or more of equity share capital, directly or indirectly, in any intermediary and vice-versa.

Explanation.— Control means as defined under section 2(27) of the Companies Act, 2013.

(6) Any other criteria laid down in the selection process initiated by the Authority.”

VIII. Regulation 5 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“5. **Disclosure of information.**— (1) While filing the application for registration, the applicant shall disclose all relevant information including any action or legal proceedings initiated against it, its key personnel in the past including the pending proceedings, for any material breach or non-compliance by them of any law, rules, regulations, and directions of the Authority or of any other regulatory body or the Government.

(2) During pendency of the application, the applicant shall inform the Authority of any changes in the information furnished under sub regulation (1) within seven days of such change.”

IX. Sub-regulation (1) of regulation 6 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“6. Furnishing of Information and clarification.– (1) The Authority may require the applicant to furnish further information or clarification, for consideration of its application.”

X. Sub-regulation (1) of regulation 7 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“7. Verification of information.– (1) While processing the application, the Authority may,—

- (a) verify the documents, inspect the infrastructure, and resources, including technological capabilities which the applicant is required to fulfil; and
- (b) seek report from any agency which may have a bearing on the application.”

XI. Clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(a) whether the applicant satisfies the eligibility criteria specified in these regulations and other requirements laid down under the selection process;”

XII. Sub-regulation (3) of regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(3) Before rejecting an application, the Authority shall give a notice to the applicant to rectify the defect(s) in its application, within fifteen days of receipt of such notice from the Authority.

Provided that where the Authority is of the *prima facie* opinion that the registration ought not to be granted, it shall communicate the reasons for forming such an opinion and give the applicant an opportunity to explain why its application should be accepted, within fifteen days of the receipt of the communication from the Authority, to enable it to form a final opinion.

Provided further that where an application has been rejected on the grounds of being incorrect, false or misleading in nature or has omitted to disclose material facts, no fresh application from the applicant for grant of certificate of registration shall be considered for a period of one year from the date of rejection.”

XIII. Clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 10 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(a) where the applicant proposes to change its status or constitution, it shall obtain prior approval of the Authority.

Explanation.— Change in status or constitution shall include the following,—

- (i) amalgamation, demerger, consolidation or any other kind of corporate restructuring under the provisions of the Companies Act, 2013 (13 of 2013) or the corresponding provision of any other law for the time being in force or any agreement or arrangement which would have the effect of such corporate restructuring;
- (ii) any change in control of the central recordkeeping agency.

Explanation.— Control means as defined under section 2(27) of the Companies Act, 2013; and

- (iii) any change in the legal status of the central recordkeeping agency;”

XIV. Clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 10 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(b) it shall at all times meet the eligibility criteria specified in these regulations and other requirements laid down under the selection process.

Provided that the Authority may impose any other conditions as it may deem fit in the interest of subscribers or orderly development of the pension schemes covered under the Act or for regulation of the working of the central recordkeeping agency, and the central recordkeeping agency shall comply with such conditions.”

XV. Clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 10 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(f) it shall provide true and correct disclosure of information, as specified under the regulations, on a continuous basis, besides such other disclosures required by the Authority. Further, it shall furnish any material change in the information furnished to the Authority including under sub-regulation (1) of regulation 5, immediately but not later than fifteen days of the occurrence of such change;”

XVI. New clause (h) shall be inserted after clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 10 of the principal regulations as follows:

“(h) it shall submit a certificate evidencing compliance with the eligibility conditions. Such certificate shall be placed before its board and its observations, if any, along with explanation thereon, shall be submitted to the Authority, within sixty days from the end of the financial year, or within sixty days from the expiry of tenure of its registration;”

XVII. Regulation 12 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“12. **Registration fee.**— An applicant shall pay a non-refundable registration fee of rupees twenty five lakh plus applicable taxes and levies thereon, to the Authority.”

XVIII. Regulation 13 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“13. **Annual fee.**— The central recordkeeping agency shall pay an annual fee plus applicable taxes and levies thereon, on quarterly basis at the rate of 0.05 times of the service charges, as specified in regulation 22 before the due date as may be determined by the Authority.”

XIX. Regulation 14 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“14. **Commencement of business.**— (1) A central recordkeeping agency shall make an application in the format as may be determined by the Authority for grant of certificate of commencement of business, within six months from date of certificate of registration.

Provided that it shall obtain certificate of commencement of business before commencement of its operations.

Provided further that where an extension is required for obtaining the certificate of commencement of business, it shall apply at least thirty days before completion of six months from the date of certificate of registration. The Authority may provide an extension up to six months for reasons to be recorded in writing.

(2) A central recordkeeping agency while making an application for grant of certificate of commencement of business shall,—

(a) confirm the execution of service level agreements with other intermediaries;

(b) confirm the completion of system development, in the mode and manner, as determined by the Authority; and

(c) give an undertaking approved by its board that it will acquire CMMI level three certification and ISO 27001 certificate for services offered under central recordkeeping activity, within twelve months from the date of certificate of commencement of business.

(3) An application which is not complete in all respects and does not conform to requirements specified or determined in the selection process shall be rejected.

Provided that before rejecting an application for grant of certificate of commencement of business, the Authority shall give the central recordkeeping agency a reasonable opportunity of being heard.

Provided further that the Authority, on being satisfied that it is necessary to extend the period, may extend such period by such further time as it thinks necessary in order to enable the central recordkeeping agency to remove the objections indicated by the Authority.

(4) After considering all matters which are relevant for the efficient and orderly functioning of the central recordkeeping agency, the Authority shall grant certificate of commencement of business as per Schedule V.

(5) The central recordkeeping agency holding a certificate of commencement of business, shall at all times, abide by the code of conduct as specified in Schedule II.”

XX. Regulation 15 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“15. **Validity of certificate of registration.**— The certificate of registration granted to a central recordkeeping agency shall remain valid unless suspended or cancelled by the Authority, in accordance with the regulations.”

XXI. Sub-regulation (1) of regulation 18 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“18. **Roles and responsibilities of central recordkeeping agency.**— (1) The central recordkeeping agency shall do centralized recordkeeping, administration and customer service functions for all subscribers under the pension schemes covered under the Act, in accordance with the provisions of the Act, rules and regulations made thereunder and also operational service level standards or any standard operating procedures or guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority.”

XXII. Clause (h) of sub-regulation (2) of regulation 18 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(h) assist the Authority or any other entity authorized by the Authority in enforcement of guidelines by providing the required data or information and reports on lapses and errors;”

XXIII. Clause (i) of sub-regulation (2) of regulation 18 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(i) improve the systems and processes as per the evolving needs and requirements;”

XXIV. Clause (l) of sub-regulation (2) of regulation 18 of the principal regulations shall be deleted;

XXV. Clause (m) of sub-regulation (2) of regulation 18 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(m) ensure suitable system driven mechanism to avoid duplication of individual pension account under same pension scheme across all sectors and across central recordkeeping agencies;”

XXVI. New clause (oa) shall be inserted after clause (o) of sub-regulation (2) of regulation 18 of the principal regulations as follows:

“(oa) ensure at all times compliance with the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority;”

XXVII. New clause (ob) shall be inserted after newly inserted clause (oa) of sub-regulation (2) of regulation 18 of the principal regulations as follows:

“(ob) render quality services to stakeholder at all times;”

XXVIII. New clause (oc) shall be inserted after newly inserted clause (ob) of sub-regulation (2) of regulation 18 of the principal regulations as follows:

“(oc) ensure that intermediation and other operational costs under the pension schemes covered under the Act, are economical and reasonable;”

XXIX. New sub-regulation (2a) shall be inserted after sub-regulation (2) of regulation 18 of the principal regulations as follows:

“(2a) A central recordkeeping agency shall take all measures necessary for prevention of fraud and develop and implement a fraud prevention and mitigation policy in accordance with guidelines issued by Authority, including,—

(a) laying down internal controls to be followed and ensure that such controls are adequate and operating effectively; and

(b) making provision for indemnifying the subscriber for any loss on account of fraud or negligence on the part of the central recordkeeping agency, which has been established.

Explanation.— For the purpose of this regulation, the term internal control means the policies and procedures adopted by the central recordkeeping agency for ensuring the orderly and efficient conduct of its functions, including prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the records, and the timely preparation and submission of reliable compliance reports.”

XXX. New sub-regulation (2b) shall be inserted after newly inserted sub-regulation (2a) of regulation 18 of the principal regulations as follows:

“(2b) A central recordkeeping agency shall submit its annual report to the Authority. The annual report shall also contain the following,—

(a) a certification by the chief executive officer, in respect of following key responsibilities,—

(i) adequacy and effectiveness of internal processes and digital architecture controls;

(ii) compliance with the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority, besides other applicable laws; and

(iii) adherence to the code of conduct;

(b) audit report in respect of audit of processes, operations and accounts of pension schemes covered under the Act.”

XXXI. The paragraph immediately after clause (l) of regulation 19 of the principal regulations, shall be substituted as follows:

“Explanation.— The generation of the reports shall be automated and system driven with suitable audit trail. The application so designed shall provide a view for the Departments, the Authority or the National Pension System Trust to access the reports automatically.”

XXXII. Clause (d) of regulation 20 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(d) central recordkeeping agency shall comply with the operational parameters and technology standards as laid down by the Authority.”

XXXIII. Sub-regulation (1) of regulation 22 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**22. Service charges.**— (1) A central recordkeeping agency may collect service charges plus applicable taxes, for providing services to the subscribers of the pension schemes covered under the Act. The services charges shall be determined through a price discovery process initiated by the Authority.”

XXXIV. Regulation 23 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**23. Exit Management Plan.**— (1) A central recordkeeping agency shall submit to the Authority an exit management plan within six months from the grant of certificate of commencement of business.

(2) An exit management plan shall contain the details including the following,—

- (a) a detailed program of the transfer process including details of the means to be used to ensure continuing provision of the services throughout the transfer process or until the cessation of the services and of the management structure during the transfer;
- (b) modalities for communication with the central recordkeeping agency’s sub-contractors, staff, suppliers, service providers and any related third party as are necessary to avoid any detrimental impact on the project’s operations as a result of the transfer; and
- (c) provisions for contingent support to the replacement agency for a reasonable period after the transfer.

(3) The exit management plan shall be updated and submitted to the Authority within thirty days from the end of each financial year.”

XXXV. Regulation 25 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**25. Separation of accounts of pension schemes covered under the Act from its other activities and business.**— A central recordkeeping agency shall separate the activities of maintenance of accounts, income, expenditure, cash flows, records, data and regulated assets relating to the pension schemes covered under the Act, from its other activities and business.”

XXXVI. Regulation 26 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**26. Inspection and audit.**— (1) The Authority shall inspect or audit central recordkeeping agency at regular intervals as it deems fit.

Notwithstanding the above, it may at any time as it deems fit, undertake directly or through an auditor or its authorized representative, an inspection or audit of the books, accounts, records including the call records and electronic records and documents of a central recordkeeping agency for the purposes as specified under this regulation.

(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may include,—

- (a) ascertaining the infrastructural capabilities, systems and procedures;
- (b) ensuring that the books of account, records including call records and electronic records and documents are being maintained in the manner required under these regulations;
- (c) ascertaining whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established and are being followed by the central recordkeeping agency;
- (d) ascertaining whether the provisions of the Act, rules or regulations made thereunder or guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority are being complied with;
- (e) inquiring into the complaints received from subscribers, nodal offices, intermediaries or any other person on any matter having a bearing on the activities of the central recordkeeping agency; and
- (f) inquiring *suo motu* into such matters as may be deemed fit in the interest of subscribers.

(3) The Authority may appoint or direct central recordkeeping agency to appoint a registered valuer for carrying out valuation of regulated assets. The central recordkeeping agency shall bear the expenses incurred for such valuation.”

XXXVII. New sub-regulation (3) shall be inserted after sub-regulation (2) of regulation 29 of the principal regulations as follows:

“(3) The report submitted by the authorized person or any documents or information so collected by such person, during the course of inspection or audit, would be admissible in any investigation or inquiry or any other proceedings before the Authority.”

XXXVIII. New clause (ha) shall be inserted after clause (h) of sub-regulation (1) of regulation 32 of the principal regulations as follows:

“(ha) fails to obtain the certificate of commencement of business, within the time granted by the Authority;”

XXXIX. Clause (i) of sub-regulation (1) of regulation 32 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(i) any other reason which in the opinion of the Authority warrants suspension or cancellation of the certificate of registration granted.”

XL. Sub-regulation (4) of regulation 32 of the principal regulations shall be deleted;

XLI. Regulation 33 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**33. Surrender of certificate of registration.**— (1) A central recordkeeping agency may surrender its certificate of registration by making a request to the Authority.

(2) For consideration of such request, the Authority may require the central recordkeeping agency to satisfy the following,—

- (a) arrangements made by it for maintenance and preservation of records and other documents required to be maintained under the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, at its own cost and expense, to ensure continuity of service to subscribers;
- (b) rectifying the defaults and pending actions, if any;
- (c) redressal of subscriber grievances; and
- (d) any other measures to be taken in the interest of the subscribers.

(3) While considering the request for surrender, the Authority may impose such conditions upon the central recordkeeping agency as it deems fit for the protection of interest of the subscribers.

(4) No request for surrender shall be entertained from a central recordkeeping agency in respect of which any investigation, inquiry or adjudication has been initiated or is contemplated by the Authority.

(5) No surrender shall be permitted unless the Authority is satisfied that the central recordkeeping agency has complied with or has taken steps to comply with the requirements under sub-regulation (2) and other conditions, if any, under sub-regulation (3).

(6) Where the Authority has accepted the request for surrender, it shall cancel the certificate of registration granted to the central recordkeeping agency and inform central recordkeeping agency within seven days and place such information on its website and also direct the central recordkeeping agency to place the information on its website and disseminate the information, in such manner, as may be required.”

XLII. Regulation 34 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**34. Effect of suspension or cancellation of certificate.**— (1) On and from the date of suspension of the certificate of registration, the central recordkeeping agency shall, where directed,—

- (a) cease to transact fresh business under the pension schemes covered under the Act, as the case may be;
- (b) take such action in respect of the assets including regulated assets, records, documents or information that may be in the custody or control of the central recordkeeping agency, within the time limit and in the manner as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority;
- (c) transfer at its own cost the assets, records, documents or information that are in its custody or control to another central recordkeeping agency in the form and manner as may be directed by the Authority;
- (d) provide at its cost and expense, all the necessary support in ensuring smooth transfer of all the assets under its management and where required by the National Pension System Trust or the Authority, and make such public announcement or disclosure as may be conducive to subscriber’s interest, regarding such transfer of assets. It shall also ensure that the transfer of all the relevant documents, record or information is made in accordance with the directions issued by the Authority;

(e) the transfer of such assets including regulated assets shall be undertaken in accordance with the guidelines or instructions that may be issued by the Authority; and

(f) the central recordkeeping agency shall be subject to the directions of the Authority until all such transfers or actions are completed or until, the certificate of registration remains suspended.

(2) On and from the date of cancellation of the certificate of registration, the concerned central recordkeeping agency shall,—

(a) cease to carry on and wind up its affairs *qua* the activities in respect of which registration has been granted;

(b) return the certificate of registration so cancelled to the Authority and inform such other agencies, as may be directed by the Authority with regard to the said fact and disseminate the information on its website and in such other manner as may be directed;

(c) carry out any other directions within the time limits given by the Authority, and report compliance of the same;

(d) make provisions as regards liability incurred or assumed by it;

(e) take such other action including the action relating to any records or documents and assets of the subscribers that may be in the custody or control of such central recordkeeping agency, within the time limit and in the manner, as may be required; and

(f) transfer or dispose of the regulated assets in the manner as may be directed by the Authority.”

XLIII. Clause (d) of regulation 38 of the principal regulations, shall be substituted as follows:

“(d) debarring a key personnel of the noticee from being employed or associated with any intermediary or any other person for the period provided in the order;”

XLIV. Sub-regulation (6) of regulation 46 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(6) The central recordkeeping agency shall inform the Authority about any action or legal proceedings initiated against it, or its key personnel in the past including the pending proceedings, as well as those which have been initiated after grant of registration certificate, for any material breach or non-compliance by them of any law, rules, regulations, and directions of the Authority or of any other regulatory body or Government.”

XLV. New Schedule IV shall be inserted after Schedule III of the principal regulations as follows:

“SCHEDULE IV

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY) REGULATIONS, 2015

[See regulation 4]

CRITERIA FOR DETERMINING A ‘FIT AND PROPER PERSON’

(1) For the purpose of determining as to whether any person is ‘fit and proper person’, the Authority may take into account any criteria as it deems fit, including but not limited to the following,—

PART A

(a) financial integrity,

(b) absence of convictions or civil liabilities,

(c) competence,

(d) good reputation and character,

(e) efficiency and honesty,

(f) financial solvency and net worth

PART B

A person shall not be considered as a " fit and proper person" if any of the following disqualifications are incurred,—

(i) criminal complaint or information under section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) has been filed against such person by the Authority and which is pending;

(ii) charge sheet has been filed against such person by any enforcement agency in matters concerning economic offences and is pending;

- (iii) an order of restraint, prohibition or debarment has been passed against such person by the Authority or any other regulatory authority or enforcement agency in any matter concerning securities laws or financial markets and such order is in force;
- (iv) license or registration has been cancelled by any financial sector regulators during last five years;
- (v) recovery proceedings have been initiated by the Authority against such person and are pending;
- (vi) an order of conviction has been passed against such person by a court for any offence involving moral turpitude or involving economic offences or fraud;
- (vii) any winding up proceedings have been initiated or an order for winding up has been passed against such person;
- (viii) any insolvency proceeding is pending against such person or where he has been declared insolvent and not discharged;
- (ix) such person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
- (x) such person has been categorized as a wilful defaulter;
- (xi) such person has been declared a fugitive economic offender; or
- (xii) any other disqualification as may be determined by the Authority.

(2) Where a person has been declared as not fit and proper by an order of the Authority, such a person shall not be eligible to apply for any registration during the period provided in the said order or for a period of five years from the date of effect of the order, if no such period is provided in the order.

(3) In the opinion of the Authority, where the central recordkeeping agency or any its key personnel, at any point of time ceases to satisfy the criteria under PART A of clause (1) or incurs any disqualification or disability under PART B of clause (1), its certificate of registration is liable to be suspended or cancelled, in accordance with the provision of these regulations.

Provided that the central recordkeeping agency shall remove its key personnel, ceasing to satisfy the criteria, under clause (1) within thirty days, from such cessation and inform the Authority of the action taken.”

XLVI. New Schedule V shall be inserted after Schedule IV of the principal regulations as follows:

“SCHEDULE V

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY) REGULATIONS, 2015

[See Regulation 14(4)]

CERTIFICATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

CERTIFICATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS AS CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY

_____ which has been granted a certificate of registration as central recordkeeping agency vide _____ on _____ is hereby allowed to commence the activities/business as central recordkeeping agency for the pension schemes regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority on this ____ day of ____ 20__

Place: _____

By order

For and on behalf of

Pension Fund Regulatory and Development Authority”

Dr. DEEPAK MOHANTY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./741/2023-24]

Note: The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 were published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/7, on the 27th April, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 140, and were subsequently amended by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) (First Amendment) Regulations, 2018 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/7, on the 25th June, 2018 in the Gazette of India,

Extraordinary, Part III, Section 4, No. 238, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) (Second Amendment) Regulations, 2020 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/7, on the 29th July, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 296, and the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) (Amendment) Regulations, 2021 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/7, on the 14th June, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 237